फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बशीलाल बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 45/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खानातलाव पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की साबिक आराजी न 355, 439, 592/31, 390 कुल किता 4 रकबा 14 बिघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकर्ड थी। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के नये आराजी न 512, 585, 586, 630, 632, 633, 634, 76 कुल किता 8 कुल रकबा 2.7400 है बने जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुये लेकिन नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी के रकबे 0.3380 है की कमी कर दी गई जबकि साबिक रेकर्ड अनुसार 3.0780 है भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाधरत भूमि के रकबे को साबिक रेकर्ड अनुसार 3.0780 है दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया कि गत जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 53 मे खसरा स 355 रकबा 5–10 बिघा, खसरा स 439 रकबा 1–19 बिघा, खसरा स 390 रकबा 1–16 बिघा, खसरा स 592/31 रकबा 5–00 बिघा कुल रकबा 14 बिघा 5 बिस्वा प्रार्थी के नाम पर रेकर्ड है। यह कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 मे खाता संख्या 58 मे भूमि मिलान क्षे अनुसार बने नये खसरे 512, 585, 586, 630, 632, 633, 76 कुल रकबा 2.7400 है बने। सलग्न मिलान खसरे अनुसार उक्त खसरा स 592/31 के नवीन खसरा 76 बना जिसमे रकबे मे 0.3400 है. की कमी की गई है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि गत जमाबंदी मे दर्ज खसरा स का नवीन सेटलमेंट जमाबंदी मे दर्ज किये गये खसरो का मिलान क्षे से जाच की गई जिसमे स्पष्ट है कि प्रार्थी के नाम दर्ज गत खसरा न 592/31 रकबा 5–00 बिघा का नया न 76 रकबा 0.7400 है भूमि ही प्रार्थी के नाम दर्ज की गई है। प्रार्थी मदनलाल, बशीलाल पिता चतरभुज खटीक सा भीण्डर के नाम दर्ज गत खसरा न 592/31 रकबा 5–00 बिघा के मुकाबले सेटलमेंट द्वारा प्रार्थी के नाम उक्त खसरे का नवीन दर्ज खसरा 76 रकबा 0.7400 है किया गया जिसमे 0.3400 है भूमि की कमी की गई है। उक्त बिलानाम खसरा स. 77 भी गत खसरा 31 मी. से ही बना है। लठ्ठा –शीट मे उक्त खसरे की तरमीम की हुई नही है।

प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है तथा नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी अनुसार नवीन रेकर्ड मे प्रार्थनाधरत भूमि के रकबे मे कमी होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि नवीन भू प्रबन्ध रेकर्ड मे प्रार्थी के रकबे मे कमी की गई है लेकिन साथ ही यह भी बताया की लठ्ठा शीट मे उक्त खसरे की तरमीम की हुई नही है जिससे प्रकरण साक्ष्य का विषय है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमे रोटेशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटि व तरमीम को सुधारे जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही दिया जा सकता। अतः प्रार्थी के वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय नही होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:32 IST
Reason: SelfAttested